संख्या-616/2017/1852/22-2-2017-17(247)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 03 अगस्त, 2017***

विषय:- जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी करन सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह निवासी जनपद-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27100/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-12.07.2017 दिनांक 28.07.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी करन सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह, निवासी-ग्राम-नगला अक्खे, थाना-शाहगंज, जनपद-आगरा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन के विवाद को लेकर घटना दिनांक 01.11.1978 को 13 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पिस्टल व लाठी से मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-230/1979 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 324/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-3), आगरा के आदेश दिनांक 20.01.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.03.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.03.2017 तक 02 वर्ष 00 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 02 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 11 अन्य सहअभियुक्तों की मृत्यु, 01 अन्य सहअभियुक्त दोषमुक्त तथा 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा, बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल रिट याचिका सं0-3440(एम0बी0)/2017 जगवीर सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित समयबद्ध आदेश दिनांक 15.02.2017 तथा अवमानना याचिका सं0-1144(सी)/2017 जगवीर सिंह व अन्य बनाम श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, कारागार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2017 एवं 20.07.2017 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी करन सिंह (बन्दी संख्या-215/15) पुत्र स्व0 गुलाब सिंह, निवासी-जनपद-आगरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-616/2017/1852/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।